ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्लाट नं0–1 नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)

पत्रांक उद्योग./2018/2914
दिनॉकः .13.07.2018

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के औद्योगिक सैक्टर इकोटेक–11 का विकास कार्य न होने के कारण दिनॉक 30.04.2018 तक प्रीमियम एवं अतिरिक्त प्रतिकर की देयता पर पैनल ब्याज के स्थान पर साधारण ब्याज लिये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड की 112वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 07.07.2018 में मद संख्या–112/14 पर निम्नानुसार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गयाः–

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक क्षेत्र इकोटैक–11 में कुल भूखण्डों की संख्या 281 है, जिसमें से 179 भूखण्डों का आबंटन वर्ष 2008 में 5 भूखण्डों का आबंटन 2018 में किया गया । इस प्रकार कुल आबंटित भूखण्डों की संख्या 184 है। रिक्त भूखण्डों की संख्या 97 है। कुल आबंटित भूखण्डों की संख्या 184 में से 44 भूखण्डों की लीजडीड निष्पादित हो चुकी है तथा 140 भूखण्डों की लीजडीड होना अवशेष है तथा कियाशील इकाईयों की संख्या शून्य है । परियोजना विभाग की आख्या के अनुसार "आन्तरिक सडक,रीवर,ड्रेन एवं जलापूर्ति तथा विद्युत का कार्य पूर्ण है। सैक्टर इकोटेक–11 को जाने वाले पहुॅच मार्ग आई0आई0टी0जी0एन0एल0–डी0एम0आई0सी0 के विकास कार्य प्रगति पर होने के कारण बाधित है, इस मार्ग का निर्माण कार्य जून,2018 तक पूर्ण हो जायेगा।"

प्राधिकरण के नियमानसुार प्रीमियम एवं अतिरिक्त प्रतिकर की देयता पर पैनल ब्याज आरोपित करते हुए आबंटियों को देय धनराशि जमा कराने तथा लीजडीड कराने हेतु सूचित किया गया । परन्तु उक्त सैक्टर के आबंटयों द्वारा मॉग की जाती रही है कि जब उक्त सैक्टर का समयन्तर्गत विकास ही नहीं हुआ तो प्रीमियम एवं अतिरिक्त प्रतिकर पर देय पैनल ब्याज आरोपित न किया जाये।

उक्त के सम्बन्ध में दिनॉक 09.05.2018 को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में समिति की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें यह सस्तुति की गई कि"आबंटियों की समस्याओं एवं व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत वर्तमान में औद्योगिक विकास के हित में इकोटेक–11 का पहुॅच मार्ग बाधित होने के कारण एवं आबंटियों की मॉग के अनुसार भूखण्ड के अवशेष प्रीमियम एवं अतिरिक्त प्रतिकर पर पैनल ब्याज के स्थान पर दिनॉक 30.04.2018 तक साधारण ब्याज लिया जाये, जिसे प्रीमियम में जोडते हुए चार बराबर किश्तों में विभाजित कर माह 30,जून,2018, 30,सितम्बर,2018, 31,दिसम्बर,2018, एवं 31,मार्च,2019 तक इस प्रतिबन्ध के साथ लिये जाने की समिति ने संस्तुति की है कि आबंटी को 2 वर्ष में इकाई को स्थापित कर कियाशील करना होगा अन्यथा दी गयी छूट स्वतः निरस्त हो जायेगी तथा इकाई पर प्रीमियम एवं अतिरिक्त प्रतिकर पर पैनल ब्याज आरोपित होगा।"

उक्त कार्यालय आदेश प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन के कम में निर्गत किये जा रहें ।

(अनिल कुमार शर्मा)
उप महाप्रबन्धक (उद्योग)

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ आफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ ।
2. निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (टी0)महोदय के सूचनार्थ ।
3. वैयक्तिक सहायक को विशेष कार्याधिकारी(वी0) महोदया के सूचनार्थ
4. प्रबन्धक–1(उद्योग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. प्रबन्धक(सिस्टम) को इस आशय से कि जन सामान्य के सूचनार्थ उक्त आदेश को ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कर दें।

12/7/18
उप महाप्रबन्धक (उद्योग)